

इस दृष्टि का एक प्रतिदर्श (इकाई) प्राप्त किया गया है। इस प्रकार के प्रतिदर्श चयन को प्राकृतिक या सैम्पलिंग प्रोसेस (probable sampling) कहते हैं।

इस प्राविचयन में सरलता एवं सुगमता का गुण पाया जाता है। परन्तु शैक्षिक प्राविचयन का एक बड़ा दोष यह है कि यह प्रत्येक जन संख्या का प्रतिनिधित्व सही ढंग से नहीं कर पाता है।

(11)

प्राकृतिक प्राविचयन (Probable sampling) प्राकृतिक प्राविचयन एक ऐसा असंगठित प्राविचयन (non-probability sampling) विधि है जिसमें अध्ययन के अनुसूचित सम्पूर्ण जन संख्या में से जो भी प्रकार आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उसका चयन शोधकर्ता द्वारा करके प्रतिदर्श का निर्माण कर लिया जाता है इसके लिए किसी पूर्व निर्धारित योजना की आवश्यकता नहीं होती है।

गणविज्ञान में शोधकर्ता अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि में प्रत्येक स्तर या कोर्ज के दृष्टियों को प्राविचयन के रूप में चयन कर लेते हैं। यह प्राकृतिक प्राविचयन की श्रेणी में आता है।

प्राकृतिक प्राविचयन का एक बहुत

~~(iii) अंतर्विभाग (Quota Sampling) -  
 इस विधि में जनसंख्या को कुछ-कुछ भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग में एक-एक व्यक्ति का चयन किया जाता है। इस प्रकार चयन किये गये व्यक्तियों का समूह नमूना कहलाता है।~~

(iii) अंतर्विभाग (Quota Sampling) -  
 इस विधि में जनसंख्या को कुछ-कुछ भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग में एक-एक व्यक्ति का चयन किया जाता है। इस प्रकार चयन किये गये व्यक्तियों का समूह नमूना कहलाता है।

(iv) अंतर्विभाग (Check Sampling) -  
 इस विधि में जनसंख्या को कुछ-कुछ भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग में एक-एक व्यक्ति का चयन किया जाता है। इस प्रकार चयन किये गये व्यक्तियों का समूह नमूना कहलाता है।

सिनेमला इत्यादीं मा. कर्मशाही मा. वाहनी. का ही प्रतिदर्श. के लिए नमन कर (गे. स. प्र. प्रतिदर्शना है।)

(v) सुविधानुसार प्रतिचयन (Convenience Sampling) इसके अन्तर्गत अचयनकर्ता उन स्थानीय व्यक्ति, पहचानकर्ता से संपर्क करता है जिससे उसे समझ में चर्चा प्र. सुविधा रहनी है। जैसे - स्त्र. महिला शौचकर्ता अपने अध्यापन में केवल महिलाओं का ही चयन अपनी सुविधा के लिए करती है। या इस प्रकार के परिचयन का सुविधानुसार प्रतिचयन कहा जाता है। क्योंकि शौचकर्ता इस प्रतिचयन का आशय अपनी सुविधानुसार लग किमा गया है।

(vi) विचारानुसार प्रतिचयन (Judgmental Sampling) इस अंतर्गत प्रतिचयनकर्ता इकाईयों का चयन विचारपूर्वक किमा जाता है। इसमें सम्पूर्ण जनसंख्या से प्रतिदर्श इकाईयों का चयन अध्यापन से से संबंधित विविध पहलुओं को ध्यान में रखकर किमा जाता है। इस प्रकार का चयन विचारपूर्वक किमा जाता है। अतः इस प्रकार के प्रतिचयन का विचारानुसार प्रतिचयन कहा जाता है।

(vii) विशेषज्ञानुसार प्रतिचयन (Expert's Sampling)

इस असाध्य प्रतिचयन में प्रतिचयन की इकाईयों के चयन में विशेषज्ञ के मत को ही महत्त्व दिया जाता है। अतः प्रतिचयन नामुक्त रहती है। अतः ऐसे प्रतिचयन को जिसमें इकाईयों के चयन में विशेषज्ञ के मत को अधिक महत्त्व दिया जाता है उसे विशेषज्ञाचार प्राप्त दर्शन या प्रतिचयन कहते हैं।

(Still)

स्पेच्छानुसार (Self selected) प्रतिचयन - इस असमाध्य प्रतिचयन (Nonprobability Sampling) के अन्तर्गत उन इकाईयों का अध्ययन किया जाता है, जो स्पेच्छानुसार विभिन्न समस्याओं पर अपना मत, समझौता-पत्रों, पत्रिकाओं में व्यक्त करती रहती हैं। यहाँ अद्यतन के लिये अपना प्रतिचयन के लिए इकाईयों का चयन नहीं करता। यैके ऐसे प्रतिचयन को विभिन्न इकाईयों अपना स्वयं को चुनने के अनुसार ही समग्र-समग्र पर प्रचालित विवाद रहित समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करती हैं। अतः ऐसे प्रतिचयन को स्पेच्छानुसार प्रतिचयन कहते हैं।

The End